प्रेस नोट दिनांक 12.12.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कुल 05 किलो 890 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री का 250/- रूपये नगद के साथ 02 अभियुक्तों, पवन शुक्ला व सागर मौर्या को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव व उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 योगेन्द्र कुमार, का0 नागेन्द्र खरवार, हे0का0 नासिर कमाल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नया माल गोदाम के पास से 02 अभियुक्तों, 01. पवन शुक्ला पुत्र लालजी शुक्ला नि0 मंशाराम का पूरा संडीला थाना रानीगंज प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष, 02. सागर मौर्या पुत्र सोमांश मौर्य नि० इतहरा मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष के कब्जे से कुल 05 किलो 890 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री का 250/- रूपये नगद व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से कुल 05 किलो 890 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री का 250/- रूपये नगद बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 648/2025 धारा 8/20 NDPS का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसे विधिक प्रावधानों के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज़ की कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. पवन शुक्ला पुत्र लालजी शुक्ला नि0 मंशाराम का पूरा संडीला थाना रानीगंज प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष।
02. सागर मौर्या पुत्र सोमांश मौर्य नि० इतहरा मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष।
बरामदगी- कुल 05 किलो 890 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री का 250/- रूपये नगद व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव व उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 योगेन्द्र कुमार, का0 नागेन्द्र खरवार, हे0का0 नासिर कमाल थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में रानीगंज पुलिस की बड़ी सफलता: ऑटो रिक्शा व मोबाइल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को चोरी का 01 अदद ऑटो रिक्शा(तीन पहिया) व चोरी का एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी के साथ थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत भगवतगंज बाजार पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
दिनांक 09.12.2025 की रात्रि को Rapido बुकिंग करके दो युवक वादी निवासी थाना झूसी, प्रयागराज के ऑटो में प्रयागराज से प्रतापगढ़ आ रहे थे। नरसिंहगढ़ पुलिया (थाना रानीगंज) के पास वादी के पेशाब करने हेतु वाहन रोकने पर दोनों युवक उसका ऑटो व Vivo मोबाइल लेकर भाग गए। खोजबीन से ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाला व्यक्ति सचिन पाल निवासी थाना पट्टी तथा एक अज्ञात साथी द्वारा चोरी की घटना की गई। इस संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 441/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद व 01 अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री

प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 राजनारायण यादव, उ0नि0 राकेश चौरसिया, हे कां0 अमरनाथ यादव, कां0 मनोज कुमार, कां० रुद्रांश चौबे व कां0 योगेन्द्र कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 441/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. सचिन पाल पुत्र रामदौड़ पाल उर्फ राम वर निवासी ग्राम डेईडीह धौरहरा नई बस्ती थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 2. अनुराग चतुर्वेदी उर्फ भोटू पुत्र हरिनारायण चतुर्वेदी निवासी बरहुपुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष को 01 अदद ऑटो रिक्शा(तीन पहिया) व चोरी का एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी के साथ थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत भगवतगंज बाजार पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद ऑटो रिक्शा(तीन पहिया) व चोरी का एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी बरामद किया गया है, बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि यह वही मोबाईल है जिसे हमलोगो ने आटो के साथ चोरी किया था। ऑटो रिक्शा (तीन पहिया) के बारे में सचिन पाल ने बताया कि अब जब आप लोग पकड ही लिये हैं तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इस ऑटो रिक्शा को मैं तथा मेरा साथी अनुराग चतुर्वेदी दिनांक 8/9.12.2024 की रात्रि में प्रयागराज से अपने मोबाइल नंबर से ऑटो रिक्शा बुक करके प्रतापगढ़ आ रहे थे जब नरसिंहगढ़ पुलिया के पास पहुंचे तब ऑटो रिक्शा का ड्राइवर उतरकर पेशाब करने चला गया तथा हम लोगों को मौका मिल गया, ऑटो रिक्शा में चाबी लगा हुआ था तथा ऑटो रिक्शा ड्राइवर का मोबाइल भी ऑटो रिक्शा में ही था तो मैं तथा मेरा साथी अनुराग चतुर्वेदी ऑटो रिक्शा व मोबाईल चुराकर भाग गए। ऑटो रिक्शा को मैं ही चला रहा था तथा कुछ देर बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवर के मोबाइल के सिम को निकाल कर अनुराग ने फेंक दिया जिससे कि पकड़ा ना जाऊँ तथा मोबाइल अनुराग अपने पास रख लिया तथा ऑटो रिक्शा (तीन पहिया) को यही पास वाली जंगल में हम लोग छुपा दिए थे। आज हम लोग इसे बेचने के चक्कर मे लेकर जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा हम लोगों को पकड़ लिया गया। अनुराग ने पहले भी इस तरह की चोरियां किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सचिन पाल पुत्र रामदौड़ पाल उर्फ राम वर निवासी ग्राम डेईडीह धौरहरा नई बस्ती थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।
2. अनुराग चतुर्वेदी उर्फ भोटू पुत्र हरिनारायण चतुर्वेदी निवासी बरहुपुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1- अभियुक्त सचिन पाल पुत्र रामदौड़ पाल उर्फ राम वर निवासी ग्राम डेईडीह धौरहरा नई बस्ती थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 95/2025 धारा 238,303(2),317(2),318(4) बीएनएस थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 64/2022 धारा 323,504,506 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 148/2025 धारा 125ए, 125बी, 281 बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 441/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

02- अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अनुराग चतुर्वेदी उर्फ भोटू पुत्र हरिनारायण चतुर्वेदी निवासी बरहुपुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 235/2022 धारा 147,149,,307,323,34,342,365,398,400,504,506 भादवि थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

02. मु0अ0सं0 05/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

03. मु0अ0सं0 315/2022 धारा 307,353 भादवि थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर।

04. मु0अ0सं0 317/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर।

05. मु0अ0सं0 441/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 राजनारायण यादव, उ0नि0 राकेश चौरसिया, हे कां0 अमरनाथ यादव, कां0 मनोज कुमार, कां० रुद्रांश चौबे व कां0 योगेन्द्र कुमार यादव थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा जबरन वसूली व धमकी से संबंधित 01 अभियुक्त कुंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत देवसरा पेट्रोल पम्प के पास से किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना आसपुर देवसरा तहरीर दी थी कि ग्राम सेतापुर निवासी अभियुक्त कुँवर सिंह पुत्र फूलचन्द्र सिंह से पूर्व में फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती के दौरान अभियुक्त ने वादिनी के कुछ फोटो व वीडियो प्राप्त कर लिए थे, जिनके आधार पर वह लगातार ब्लैकमेल कर धनराशि की मांग एवं रंगदारी कर रहा है। पूर्व में इस संबंध में वादिनी द्वारा थाना आसपुर देवसरा में अभियोग भी दर्ज कराया गया था, बावजूद इसके अभियुक्त पुनः वादिनी के अश्लील फोटो वायरल कर धमकी दे रहा है तथा बार-बार पैसे की मांग कर भय उत्पन्न कर रहा है। इस संबंध

में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0.327/25 धारा 308 (5)/351 (3) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह हे0का0 श्रीप्रकाश, का0 अजीत चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 327/25 धारा 308 (5) /351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त कुवंर सिंह सुत फूलचन्द्र सिहं निवासी ग्राम सेतापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत देवसरा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-कुवंर सिंह सुत फूलचन्द्र सिहं निवासी ग्राम सेतापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह हे0का0 श्रीप्रकाश, का0 अजीत चौहान थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त को थाना कन्धई पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शै◌ेलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह का0 राहुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69, 115(2), 351(3) बीएनएस थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र गुड्ड सिंह निवासी ग्राम वैदिकपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत बोझी गांव में बन्द पड़ी ईंट के भट्टे के पास मेन रोड के किनारे से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र गुड्ड सिंह निवासी ग्राम वैदिकपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह का0 राहुल कुमार थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।